सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **323/2017** दायर दिनाँक **28.11.2017**

वादी		प्रतिवादी
1. हेमकँवर पत्नी अमरसिंह, उम्र–65साल, जाति–राजपूत, निवासी–बेड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह, 2. मनोहरसिंह पुत्र गंगासिंह, 3. उंकारसिंह पुत्र गंगासिंह, 4. प्रभुसिंह पुत्र गणपतसिंह, 5. मगसिंह पुत्र गणपतसिंह, 6. चाँदसिंह पुत्र भागसिंह, 7. झबरसिंह पुत्र भागसिंह, 8. वजरंगसिंह पुत्र भागसिंह, 9. नरेशसिंह पुत्र किशोरसिंह, 10. शिशपालसिंह पुत्र किशोरसिंह, 11. प्रहलादसिंह पुत्र मोतीसिंह, 12. गिरधारीसिंह पुत्र मोतीसिंह, 13. दातारसिंह पुत्र मोतीसिंह, 14. औमसिंह पुत्र मोतीसिंह, 15. पप्पूसिंह पुत्र हनुमानसिंह, 16. भरतसिंह पुत्र हनुमानसिंह, 17. जितेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, 18. रणविजयसिंह पुत्र नाहरसिंह, 19. विक्रमसिंह पुत्र नाहरसिंह, 20. दलीपसिंह पुत्र नाहरसिंह, 21. प्रेमकँवर पत्नी नाहरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बेड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदार, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी उपस्थित।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 323/2017
दायर दिनाँक 28.11.2017, निर्णय दिनाँक 18.05.2018
हेमकँवर बनाम् श्रवणसिंह, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 18.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 25 रकबा 15.09 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 04.02 बीघा अवस्थित है।

वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में 1/2 खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 व प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 09 व 10 के दादा व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 के पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 21 के नाम से तथा 1/2 भाग की खातेदारी रूपाराम पुत्र धननाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 25 रकबा 15.09 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 04.02 बीघा बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के वादवर्णितानुसार व नजरीनक्शानुसार किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज मृतक रूपाराम का नाम हटाया जाकर उसकी जगह 1/2 हिस्सा अर्थात् 09.15 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 323/2017
दायर दिनाँक 28.11.2017, निर्णय दिनाँक 18.05.2018
हेमकँवर बनाम् श्रवणसिंह, वगैरा।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम बेड़वा खेवट संख्या 298/277 खसरा नम्बर 25 व 245 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**आकोदा** में पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया। वादी ने दावा स्वीकार कर, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादी ने निवेदन किया कि, शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 25 रकबा 15.09 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 04.02 बीघा में से 1/2 हिस्सा में रूपाराम पुत्र धन्नाराम का नाम अवश्यक दर्ज है मगर उक्त हिस्से पर रूपाराम का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है जबकि वादी का ही उक्त जायगा पर कब्जा शुरू से लगातार रहा है। अतः वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध जानकारी ली गयी। जानकारी में एकमत में सामने आया कि, वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग की खातेदारी वादी के हक में घोषित की ठीक है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत वाद, वादी साबित होता है तथा शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 25 रकबा 15.09 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 04.02 बीघा में से 1/2 भाग की खातेदारी में वर्तमान में दर्ज नाम रूपाराम पुत्र घन्नाराम को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी हेमकँवर पत्नी अमरसिंह के नाम से खातेदारी घोषित किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, वादी के हक डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 323/2017
दायर दिनाँक 28.11.2017, निर्णय दिनाँक 18.05.2018
हेमकँवर बनाम् श्रवणसिंह, वगैरा।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 25 रकबा 15.09 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 04.02 बीघा कुल खसरा 02 रकबा 19.11 बीघा भूमि, में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार रूपाराम पुत्र घन्नाराम का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है तथा उसके स्थान पर रकबा हिस्सा 1/2 भाग भूमि का वादी हेमकँवर पत्नी अमरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

निर्णय, आज दिनाँक **18.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाइ
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **323/2017** दायर दिनाँक **28.11.2017**

वादी		प्रतिवादी
1. हेमकँवर पत्नी अमरसिंह, उम्र–65साल, जाति–राजपूत, निवासी–बेड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह, 2. मनोहरसिंह पुत्र गंगासिंह, 3. उंकारसिंह पुत्र गंगासिंह, 4. प्रभुसिंह पुत्र गणपतसिंह, 5. मगसिंह पुत्र गणपतसिंह, 6. चाँदसिंह पुत्र भागसिंह, 7. झबरसिंह पुत्र भागसिंह, 8. बजरंगसिंह पुत्र भागसिंह, 9. नरेशसिंह पुत्र किशोरसिंह, 10. शिशपालसिंह पुत्र किशोरसिंह, 11. प्रहलादसिंह पुत्र मोतीसिंह, 12. गिरधारीसिंह पुत्र मोतीसिंह, 13. दातारसिंह पुत्र मोतीसिंह, 14. औमसिंह पुत्र मोतीसिंह, 15. पप्पूसिंह पुत्र हनुमानसिंह, 16. भरतसिंह पुत्र हनुमानसिंह, 17. जितेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, 18. रणविजयसिंह पुत्र नाहरसिंह, 19. विक्रमसिंह पुत्र नाहरसिंह, 20. दलीपसिंह पुत्र नाहरसिंह, 21. प्रेमकँवर पत्नी नाहरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बेड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदार, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **18.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **वादी उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद बेड़वा में खसरा नम्बर 25 रकबा 15.09 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 04.02 बीघा कुल खसरा 02 रकबा 19.11 बीघा भूमि, में से हिस्सा 1/2 भाग भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतक खातेदार रूपाराम पुत्र घन्नाराम का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

हटाया जाता है तथा उसके स्थान पर रकबा हिस्सा 1/2 भाग भूमि का वादी हेमकँवर पत्नी अमरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.........–......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—323—2017 / रीडर / 2018 / दिनाँक 18.05.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदार, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादी
1. हेमकँवर पत्नी अमरसिंह, उम्र—65साल, जाति—राजपूत, निवासी—बेड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह, जाति—राजपूत, निवासी—बेड़वा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—आकोदा

Scanned by CamScanner